समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

कँवल तनुज, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
:- +91-9473191375 फैक्स :- 06452230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

—:: आदेश ::—

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–1252/आ०प्र० दिनांक–06.04.2020 एवं 1285/आ०प्र० दिनांक–09.04.2020, पत्रांक–1511/आ०प्र० दिनांक–29.04.2020 तथा पत्रांक–2227/आ०प्र० दिनांक–03.06.2020 के आलोक में **CFMS Order No. 52** दि०–05.04.2020, 330 दिनांक–10.04.2020, 1090 दिनांक–29.04.2020, 1301 दिनांक–10.05.2020, 1589 दिनांक–23.05.2020 तथा 1719 दिनांक–02.06.2020 के द्वारा वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2020–21** में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात, लघुशीर्ष–112–जनसंख्या का निष्क्रमण, **उपशीर्ष–0002–NA**, मांग **संख्या** 39, विपत्र कोड 39–2245021120002, **Allotment ID-19477, 96003, 202563, 217755, 241187 & 257300**, विषय शीर्ष–35–01– नगद/वस्तुएँ के अन्तर्गत मो० **10,00,000.00** + **10,00,000.00** + **25,00,000.00** + **2,00,00,000.00** + **1,00,00,000.00** + **17,90,00,000.00** = कुल 21,35,00,000.00 (इक्कीस करोड़ पैतीस लाख) रूपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। **उक्त प्राप्त आवंटन में से निम्नांकित अंचलाधिकारी, कटिहार जिला एवं जिला परिवहन पदा०, कटिहार को उनके नाम के सामने पूर्व में उपावंटित राशि के अतिरिक्त वर्तमान "कॉलम–5" में अंकित राशि को उपावंटित करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।**

निदेश दिया जाता है कि इस उपावंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक–1387/आ०प्र० दि०–19.04.2020 एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक–99/आ०प्र० दि०–20.04.2020 तथा पत्रांक–140/आ०प्र० दिनांक–28.04.2020 तथा **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक में लिये गये निर्णय (पत्रांक–383/आ०प्र० दिनांक–16.06.2020 एवं पत्रांक–808/आ०प्र० दिनांक–24.09.2020)** के आलोक में के आलोक में **जनसंख्या का निष्क्रमण इकाई** मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान **जिलान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के निमित्त आपदा राहत केन्द्र/सीमा आपदा राहत केन्द्र (Entry-cum-Dispatch Centre) एवं गाँवों के विद्यालय में संचालित पंचायत व प्रखंडस्तरीय Quarantine केन्द्र में जेनरेटर, पंडाल, ईंधन, दरी, दैनिक मजदूरी, चटाई, रौशनी, Sample Collection, सैनेटाईजर, मास्क, सेनेटरी नैपकीन आदि एवं CCTV Camera, किट–2 (बाल्टी, मग मच्छरदानी, दरी) आदि में हुए व्यय का भुगतान/समायोजन के लिए निर्गत किया जा रहा है।** उपावंटित राशि का व्यय उसी मद मे किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (अंचलाधिकारी) अंचल अन्तर्गत **उपर्युक्त से संबंधित संधारित सभी पंजियों/अभिश्रवों/विपत्रों की जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् राशि का व्यय यथासंभव पूरी सतर्कता व मितव्ययिता से करेंगे। उक्त मद अन्तर्गत व्यय की गई राशि के सदुपयोग की पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं** समझा जाय।

उपावंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। उपावंटित राशि के व्ययोपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों व दिशा निर्देश के अनुरुप भारत सरकार के विहित प्रपत्र में **उपयोगिता प्रमाण–पत्र (Utilization Certificate) 01 (एक) सप्ताह के अन्दर** अचूक रूप से उपलब्ध कराते हुए उसकी पावती जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार में अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

E:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment20-21.docx

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते में नही रखेगें तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दिनांक 15.03.2021** तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश **वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा०/अंचलाधिकारी का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	2245–02–112–0002–NA, जनसंख्या का निष्क्रमण (विषय शीर्ष–35– 01–नगद/वस्तुएँ) ईकाई मद में उपावंटित राशि			अभ्युक्ति
			पूर्व	वर्त्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंचलाधिकारी, प्राणपुर	21,35,00,000/-	58,28,000.00	5,65,180.00	63,93,180.00	
2.	अंचलाधिकारी, कुर्सेला		27,78,000.00	13,78,938.00	41,56,938.00	
		कुल योग	**86,06,000.00**	**19,44,118.00**	**1,05,50,118.00**	

मो० (उन्नीस लाख चौवालीस हजार एक सौ अठारह) रूपये मात्र।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 219 /आ०प्र० II – 01 &25/2020, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, प्राणपुर एवं कुर्सेला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

Reference No- 122762 01/3/21

E:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment20-21.docx